

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

29.5.18

संख्या 18

29-5-2018

विजय सिंह जी

कल्याण सिंह

(पुत्र)

मिनाहरा 178

पञ्चावली वोट बूथ नंबर 2 व 3 का द
 पर पेश। गौरनाथलाल उपारि-पत्नी
 गौरनाथलाल ने उपारि-पत्नी होकर
 राजीनामा पत्र पेश कर अक्मल
 वाराणसी गंगा विद्यवादी द्वारा
 वाद पत्र में वाह्य गंगा हिररना
 देने के लिए तैयार है। राजरव
 रेकार्ड में हु हिररना दर्ज कर
 दिया जावे के हमें कोई आपत्ती
 नहीं है। ~~अपार्थी~~ वाह्य हिररना
 दर्ज करते ही हमारे एक लिखी
 सुनसान कलवाडा कर राजरव
 रेकार्ड में अलग अलग नाम
 दर्ज किए जावे। ~~हमारे~~

वाद पत्र के लक्ष्य इतना प्रकृत
 है कि वादी एवं अंतिकादी से। लगाप
 03 धातिकादी से पलगापतरी के पिता
 माधोसिंह के नाम पर राम
 शंकरावादी नंबर 53, 87 के से
 स्वावा 24 कोटा 17 किरवा
 भुमि स्वातेदार भीमसिंह पुत्र
 राम सिंह से जारेपे रजिस्ट्र-CD
 मिथुपुके जारेपे अपु आपने
 आधिपत्य से प्राप्त था।

आता: ग्राम रवंशकाद के आराजा
 नं० २०१, २०२, २०३, १६३०/२०३ कुल
 गिला ०५ कुल रवाका १३ बीघा
 १३ किरना भूमि में वादी का हक हिससा
 व प्रतिवादी सवा से ३ प्रत्येक का ११५, १५
 हक हिससा व प्रतिवादी सवा से १००
 ५५ हिससा बीघा वादी का प्रतिवादीगा
 के साथ ५५ हिससे का शवातेदार का शतपार
 होषित विषा जा का डिप्टी जारी है।

वाद पत्र में परतुत फरलावेणु व
 प्रतिवादीगा के राजरवाका ~~सवा~~ फरा
 विषा जिरनका सवलेकन विषा गप।

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार करते
 हुए तहसीलदार हमीरगढ के आदेश
 दिये जाते हैं कि ग्राम रवंशकाद
 के आराजा नम्बर २०१, २०२, २०३, १६३०/२०३
 कुल गिला ०५ कुल रवाका १३ बीघा
 १३ किरना में वादी के हक हिससा ५५
 का शवातेदार का शतपार होषित विषा
 जाता है, राजरवा रकाड में वादी का
 नाम अंकित कर वादी एवं प्रतिवादीगा
 के हक हिससा अनुसार एवं मिहसा एण्ड
 कलडरन अनुसार परवाड कर राजरवा
 रकाड में अलमा-अलमा नाम अंकित
 करे। डिप्टी जारी है।

शुद्धता का रेकॉर्ड अपना - 3 फरवरी 2018
कोरे।

आज दिनांक, 29.5.2018 को कोरे कोरे
सेवा काद पर सरे आम सुनना पा पापा।
फनावाली फाल सुमा हे 052
नाम्बर से काम हे।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

मूल बाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला जम्मू श्वशाखा

पीठासीन अधिकारी:- रामावतार, आर0ए0एस0

उनवान

1- श्री डुंगर सिंह पुत्र जसवंत सिंह राजपूत श्वशाखा

1- श्री भूवर सिंह पुत्र मोती सिंह राजपूत श्वशाखा

2 " श्यामल सिंह पुत्र मदन सिंह " "

3 " विजय सिंह पुत्र जसवंत सिंह " "

4 श्रीमती बदलार कवर पत्नी दशरथ सिंह पुत्री माधो सिंह राजपूत श्वशाखा

5 श्री कलवार सिंह पुत्र माधो सिंह राजपूत श्वशाखा

6 " चंदा सिंह पुत्र " "

7 " मन्ना हर सिंह पुत्र " "

8 श्रीमती चंद कवर पुत्री " "

9-10- ~~दुष संघ~~ लहरनी लदर हालु हमीरगढ

10 दावा बाबत... जिला जम्मू श्वशाखा प्रतिवादी

मुकदमा नम्बर :- 17/17

निर्णय दिनांक :- 29.5.18

वादी की ओर से..... की व प्रतिवादी की ओर से 1, 3, 5 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.5.18 को (नाम पीठासीन अधिकारी) रामावतार, आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

लहरनी लदर हमीरगढ को आदेश) दिये जाते हैं कि ग्राम श्वशाखा के अर्ज 201, 202, 203, 1630/203 कुल कितना 04 कुल श्वशाखा 13 की धारा 13 किरवा में वादी को हक है, जिससे 15 का शवातेदार कारत कारु धारित किया जाता है। राजपूत श्वशाखा में वादी का नाम अंकित कर वादी एवं प्रतिवादी गठ) के हक है, जिससे अहमद एवं मिर्सा एड कडकडर अहमद एवं कटवाड) कर राजपूत श्वशाखा में अलग अलग नाम अंकित करें

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.5.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ़